नरसिंगाराम बनाम तुलछाराम
2023/81
निर्णय दिनांकः—11.07.2025

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—32/2023

दर्ज तिथिः—24.03.2023

1. नरसिंगाराम पुत्र पदमाराम
   जाति जाट निवासी सारणों का सरा,भलीसर, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.................वादी

बनाम

1. तुलछाराम पुत्र पदमाराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 रूपाराम पुत्र तुलछाराम
   1/2 जोगाराम पुत्र तुलछाराम
   1/3 केसी पुत्री तुलछाराम
   1/4 धुड़ी पुत्री तुलछाराम
2. रामाराम पुत्र पदमाराम
3. सोनाराम पुत्र खेताराम
4. हिमताराम पुत्र हरदानराम
   जाति जाट निवासी सारणों का सरा,भलीसर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.................असल प्रतिवादीगण

5. तहसीलदार/उपपंजियक धोरीमन्ना

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः—श्री हापूराम
प्रतिवादीः— श्री ओमप्रकाश विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—11.07.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 461/11/0.9227 है0, 461/3/2.9137 है0, 463/4/1.6106 है0, 473/1/8.2556 है0, वाके ग्राम सारणों का तला तथा खसरा संख्या 455/5/1.1898 है0, 455/2/0.4047 है0, 455/4/2.8004 है0, 455/6/0.6475 है0, वाके ग्राम मगे की ढाणी,पटवार मण्डल भलीसर तथा खसरा संख्या 332/2.9380 है0 वाके ग्राम मुकने का तला पटवार मण्डल दूधू तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:10:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगणका हिस्सामुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्रदर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगातय 3 हाजा न्यायालय में असालतन—वकालतन उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रतिवादी जवाब प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य नियत की गई। पत्रावली में वादी व प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस का निवेदन किया गया । तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत होने तथा वादी वकील द्वारा जमाबंदी में दर्ज हिस्सा अनुसार विभाजन किये जाने तथा प्रतिवादी वकील द्वारा काउण्टर क्लैम को स्वीकार करने के निवेदन पर वादी व प्रतिवादी का वाद प्रारंभिक रूप से स्वीकार किया जाकर वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर दिनांक 11.03.2025 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू—धारक तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2025/1086 दिनांक 01.05.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अभिभाषकगण वादी की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा कोई आपति नहीं होने का कथन किये जाने पर प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने भू.अ./2025/1086 दिनांक 01.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 24.04.2025 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के वारे में पूर्वसूचित किया	1. प्रकरण में वादी व समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्या... तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना के नोटिस क्रमांक 1291—1297 दिनांक 16.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 24.04.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया गया जाकर तामिल करवाये गए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:10:50 IST
Reason: SelfAttested

(SDO) धोरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	समस्त पक्षकार मौके पर उपस्थित रहे। उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2070–2073 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 461/11/0.9227 है0, 461/3/2.9137 है0, 463/4/1.6106 है0, 473/1/8.2556 है0, वाके ग्राम सारणों का सरा तथा खसरा संख्या 433/3/1.1898 है0, 455/2/0.4047 है0, 455/4/2.8004 है0, 455/6/0.6475 है0, वाके ग्राम मगे की ढाणी,पटवार मण्डल भलीसर तथा खसरा संख्या 332/2.9380 है0 वाके ग्राम मुकने का तला पटवार मण्डल दूधू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह– काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल [illegible] एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार [illegible] है तो [illegible] सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:10:50 IST
Reason: SelfAttested

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संवंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 461/11/0.9227 है0, 461/3/2.9137 है0, 463/4/1.6106 है0, 473/1/8.2556 है0, वाके ग्राम सारणों का सरा तथा खसरा संख्या 433/3/1.1898 है0, 455/2/0.4047 है0, 455/4/2.8004 है0, 455/6/0.6475 है0, वाके ग्राम मगे की ढाणी,पटवार मण्डल भलीसर तथा खसरा संख्या 332/2.9380 है0 वाके ग्राम मुकने का तला पटवार मण्डल दूधू तहसील धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

क्र. स.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	नरसिंगा पुत्र पदमा कौम जाट सा.देह	पूर्ण सारणों का सरा	461/11	0.4371	बा.सो.	0.13	लाल
			463/4	1.1301	बा.सो.	0.34	
			473/1	0.4047	बा.सो.	0.12	
			473/1	1.5378	बा.सो.	0.46	
			473/1	1.3760	बा.सो.	0.41	
			5	4.8857	बा.सो.	1.46	
2.	रामा पुत्र पदमा कौम जाट सा.देह खातेदार	पूर्ण सारणें का सरा	461/3	0.1619	बा.सो.	0.05	हरा
			461/3	1.4730	बा.सो.	0.44	
			461/3	0.0809	बा.सो.	0.02	
			473/1	1.5378	बा.सो.	0.46	
			473/1	1.2950	बा.सो.	0.39	
			473/1	0.3399	बा.सो.	0.10	
			6	4.8850	बा.सो.	1.46	
3.	तुलछा पुत्र पदमा कौम जाट सा.देह खातेदार	पूर्ण सारणों का सरा	461/11	0.4856	बा.सो.	0.25	पीला
			461/4	[illegible]	[illegible]	0.14	
			461/3	[illegible]	बा.सो.	0.29	
		मुकने का तला	332	2.938	[illegible]	1.09	
			4	4.[illegible]		1.77	
4.	सोना पुत्र खेता कौम जाट सा.देह. खातेदार	पूर्ण मगे की ढाणी	433/3	[illegible]	बा.सो.	0.36	गुलाबी
			455/2	[illegible]	बा.सो.	0.12	
			455/4	2.8004	बा.सो.	0.84	
			455/6	0.6475	बा.सो.	0.19	
			4	5.0424	बा.सो.	1.51	

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:10:50 IST
Reason: SelfAttested

5.	हिमता पुत्र हरदान कौम जाट सा.देह. खातेदार	सारणों का सरा	473/1	1.6187	बा.सो.	0.49	आसमानी
6.	राजस्थान सरकार (रास्ता हेतु)	सारणों का सरा	461/3 473/1	0.2186 0.1457	गै.मु.रा. गै.मु.रा.		काला
			2	0.3643	गै.मु.रा.		

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

11/7/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमना—बाड़मेर

(SDO)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:10:50 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—32/2023 दर्ज तिथिः—24.03.2023

1. नरसिंगाराम पुत्र पदमाराम
   जाति जाट निवासी सारणों का सरा,भलीसर, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

..................वादी

बनाम

1. तुलछाराम पुत्र पदमाराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 रूपाराम पुत्र तुलछाराम
   1/2 जोगाराम पुत्र तुलछाराम
   1/3 केसी पुत्री तुलछाराम
   1/4 धुड़ी पुत्री तुलछाराम
2. रामाराम पुत्र पदमाराम
3. सोनाराम पुत्र खेताराम
4. हिमताराम पुत्र हरदानराम
   जाति जाट निवासी सारणों का सरा,भलीसर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

..................असल प्रतिवादीगण

5. तहसीलदार/उपपंजियक धोरीमन्ना

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः—श्री हापूराम
प्रतिवादीः— श्री ओमप्रकाश विश्नोई
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 461/11/0.9227 है0, 461/3/2.9137 है0, 463/4/1.6106 है0, 473/1/8.2556 है0, वाके ग्राम सारणों का सरा तथा खसरा संख्या 433/3/1.1898 [illegible] 455/2/0.4047 है0, 455/4/2.8004 है0, 455/6/0.[illegible]5 [illegible] वाके ग्राम मगे की ढाणी,पटवार मण्डल भलीसर तथा खसरा संख्या 332/2.9380 है0 वाके ग्राम मुकने का [illegible] तहसील धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर [illegible] कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:10:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

नरसिंगाराम बनाम तुलछाराम
2023/81
निर्णय दिनांकः–11.07.2025

क्र.स.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	वरंग
1	नरसिंगा पुत्र पदमा कौम जाट सा.देह	पूर्ण सारणों का सरा	461/11 463/4 473/1 473/1 473/1	0.4371 1.1301 0.4047 1.5378 1.3760	बा.सो. बा.रो. बा.रो. बा.रो. बा.सो.	0.13 0.34 0.12 0.46 0.41	लाल
			5	4.8857	बा.सो.	1.46	
2.	रामा पुत्र पदमा कौम जाट सा.देह खातेदार	पूर्ण सारणें का सरा	461/3 461/3 461/3 473/1 473/1 473/1	0.1619 1.4730 0.0809 1.5378 1.2950 0.3399	बा.सो. बा.सो. बा.सो. बा.सो. बा.सो. बा.सो.	0.05 0.44 0.02 0.46 0.39 0.10	हरा
			6	4.8850	बा.सो.	1.46	
3.	तुलछा पुत्र पदमा कौम जाट सा.देह खातेदार	पूर्ण सारणेां का सरा मुकने का तला	461/11 463/4 461/3 332	0.4856 0.4805 0.9793 2.9380	बा.सो. बा.सो. बा.सो. बा.दो.	0.25 0.14 0.29 1.09	पीला
			4	4.8834		1.77	
4.	सोना पुत्र खेता कौम जाट सा.देह. खातेदार	पूर्ण मगे की ढाणी	433/3 455/2 455/4 455/6	1.1898 0.4047 2.8004 0.6475	बा.सो. बा.सो. बा.सो. बा.सो.	0.36 0.12 0.84 0.19	गुलाबी
			4	5.0424	बा.सो.	1.51	
5.	हिमता पुत्र हरदान कौम जाट सा.देह. खातेदार	सारणों का सरा	473/1	1.6187	बा.सो.	0.49	आसमानी
6.	राजस्थान सरकार (रास्ता हेतु)	सारणों का सरा	461/3 473/1	0.2186 0.1457	गै.मु.रा. गै.मु.रा.		काला
			2	0.3643	गै.मु.रा.		

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे [illegible] ला[illegible]या जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:10:50 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर